

साइमन कमिशन और नेहरू रिपोर्ट

Simon Commission and Nehru Report

1926 ई० में लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय बने गये। 1927 ई० का वर्ष भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस खमप देश की हालत बहुत नाजुक थी। इस वर्ष स्वराजवादीयों ने यह अनुभव किया कि उनकी असहयोग तथा आंदोलन की नीति असफल हो चुकी है। कांग्रेस का नेतृत्व पूर्णतया गांधी जी के ~~खिलाफ~~ हाथ में आ गया। इसपर समाजवादी तथा साम्यवादी विचारों का प्रभाव पड़ने लगा। जहाँ-तहाँ मजदूरी और किसानों का आन्दोलन होने लगा। पारधोली में सरकार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने लगान बढ़ा देने के विरोध में तीव्र आन्दोलन किया जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा। इस प्रकार 1927 ई० में राष्ट्रीय आन्दोलन जड़ पकड़ने लगा और जनता में जागृति आने लगी। इसी पृष्ठभूमि में साइमन कमिशन की नियुक्ति हुई और नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के सामने आई।

साइमन कमिशन की नियुक्ति :— सन 1919 ई० के भारत सरकार अधिनियम की धारा 84 में यह व्यवस्था की गयी थी कि सुधारों के ~~विषय~~ कर्तव्यवित रूप पर विचार करने तथा नए सुधारों का सुझाव देने के लिए 10 वर्षों के उपरान्त सरकार एक राजकीय आयोग की नियुक्ति करेगा। इस धारा के अन्तर्गत 1929 ई० में राजकीय आयोग की नियुक्ति होती थी, लेकिन कई कारणों से दो वर्ष पहले राजकीय आयोग की घोषणा कर दी गयी। 5 नवम्बर 1927 को वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी तथा अन्य बुरे नेताओं को दिल्ली में भेट करने के लिए आमन्त्रित किया। महात्मा गांधी राजकीय आयोग (Royal Commission) की योजना को समझ बूझ खिन्ना हुए, क्योंकि इस योजना में कोई नहीं दिखवा रहा था। अन्त में 8 नवम्बर 1927 को वायसराय ने एक राजकीय कमिशन की नियुक्ति की घोषणा की।

कमिशन ने अप्पक्ष के रूप में 'सरजान सादमन' को नियुक्त किया गया, इसी कारण इसे सादमन कमिशन कहते हैं। कमिशन के अन्य सदस्य भी अंग्रेज ही थे इसके पीछे यह धारा दी गई, कि प्रथम, कमिशन का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखने का प्रस्ताव था। द्वितीय भारत में अनेक वर्गों संसदवादी धर्मों के आस्तित्व के कारण किसी-न-किसी वर्ग को असंतुष्ट कर के ही किसी भारतीय को सादमन कमिशन का सदस्य बनाया जा सकता था लेकिन ये दोनों तर्क खराना मानने।

सादमन कमिशन का वादिकार :- सादमन कमिशन के उद्देश्य तथा उसकी सदस्यता से भारतीयों को बहुत शोक हुआ। उन्होंने इसे अपमानजनक समझा। अतः सभी एकमत से सादमन कमिशन का विरोध करने लगे। कांग्रेस ने दिसम्बर 1927 के मुद्राल अधिवेशन में सादमन कमिशन के प्रति अपने दुर्बलकोण तथा नीते को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। और अधिवेशन में कमिशन का हर हाल में वादिकार करने का निर्णय लिया गया।

इसने विभिन्न नैतिक लोगों से कमिशन का वादिकार करने की अपील की। और यह भी अनुरोध किया कि कमिशन के दिन जनता साप्ताहिक प्रदर्शन करें जहाँ माँ कमिशन और जनता द्वारा उसका विरोध किया जाए किसी भी तरह का सहयोग नैता प्रण नहीं करे। काँग्रेस कार्यसमितियों का यह आधिकार दिया गया कि वह वादिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए दूसरी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करें। कांग्रेस ने इसी सम्मेलन में पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की।

उपरोक्त 1929 को सादमन कमिशन कंबर्ड पहुँचा। उस दिन सारे देश में हड़ताल मनाई गई। पूरे देश में सादमन लोहे जाको (Simon go back) के नारे लगे। जहाँ कमिशन गया उनका स्वागत कासे भड़े से किया गया। पंजाब के लाला लाजपत राय ने कमिशन के समक्ष एक निबाल प्रदर्शन किया का नेतृत्व किया पुलिस ने भीड़ को विर-वितर करने के लिए लाठी का प्रयोग किया जिसमें लाला लाजपत राय घायल होगे,

जवाहर लाल नेहरू

उत्तर प्रदेश में पंडित और पंडित गोविन्द बालभद्र पंत के साथ प्रध्वनि का नेतृत्व किया, कमिशन के आगमन के दिन सम्पूर्ण सरनक क्षेत्रिक शिबिर के रूप में बदल गया। सरकार के अन्धपूर्ण तथा अमानुषिक उपचार से जनता में प्रातिशोध की भावना जागृत हो गयी, क्रान्तिकारी पुनः सक्रिय होगये। उसने एक पुषिय अधिकारीकी हत्या करनी। सरकार भगतसिंह और बल्लेभर दत्त ने केन्द्रीय मन्त्रालयके का स्था में बम-विस्फोट किया। ऐसे असाह्यत वातावरणमें कमिशन ने अपनी जांच-पड़ताल शुरू की। कमिशन दो बार भारत आया। अपनी रिपोर्ट तैयार करनेमें दो वर्ष से अधिक का समय लिया। मई 1930 को सादमन कमिशन की रिपोर्ट तैयार हुई।

सादमन कमिशन की रिपोर्ट : — सादमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशों की।

1. अनेक वृत्तियों के कारण प्रांतों के दृष्टि शासन व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए उनके स्थान पर पूर्णतया उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए प्रांतीय सरकारों पर केन्द्र का निर्भरता कम से कम होना चाहिए।
2. अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा तथा प्रांतों में शांतिपूर्ण व्यवस्था को अधिक महत्वपूर्ण माने हेतु गवर्नर को अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए।
3. केन्द्रीय सरकार को शासन-व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कोई महत्वपूर्ण सिफारिश नहीं की गई। कमिशन के विचार में केन्द्र में शासन व्यवस्था सदा इसी प्रकार चलती रहेगी।
4. कमिशन ने मंत्रिक्य में भारत में एक संघ-शासन की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें प्रत्येक प्रांत जहाँ तक सम्भव हो अपने क्षेत्र में स्वाधी हो। इस संघ में ब्रिटिश भारत के प्रांत और सभी भारतीय देवाय राज्य साम्मिलित होंगे।
5. भारत संघ की स्थापना के पूर्व भारत में एक बृहत्तर भारत परिषद (Council of Greater India) की स्थापना जाए जिसमें भारत के ब्रिटिश राज्य और देवाय राज्यों के प्रमैनेधि साम्मिलित हों। इस परिषद द्वारा वे अपनी सामा-प समस्याओं का निराकरण करवेंगे।
6. जनता में राष्ट्रगीत-चेतना लाने के लिए मताधिकार का विस्तार किया जाना चाहिए और प्रांतीय प्यार-समाजों की संख्या को बढ़ाना चाहिए।

7. बर्मा को भारत से और सिंध को बंबई से वृत्तक कर दिया जाय।
8. कमीशन ने यह सिफारिश की कि प्रांतीयता का आधार संसदीयक मतदान होगा। अतः संसदीयक प्रांतीयता को पूर्ववत् जारी रखा जाय।
9. सेना का भारतीय करण किया जाय
10. सम्य-सम्य पर संसदीय ऑन-पडताल की पद्धति को दोड़ दिया जाय और ऐसी लचीली सीमा का निर्माण किया जाय जो स्वयं विकसित हो।
11. संस्य की व्यवस्थापिका सभा का निर्माण संसदीय व्यवस्था के आधार पर किया जाना चाहिए। उसके दोनों सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति से होना चाहिए।

परिष्कृत साइमन कमीशन के रिपोर्ट का सुझाव करने तो हम पाते हैं कि कमीशन ने भारतीय राजनीति की सभी कठिनाइयों और समस्याओं पर प्रकाश डाला, किंतु उसने तत्कालीन भारत एवं और उसके जनता की आकांक्षाओं का कतितभी ध्यान नहीं दिया।

सर वीव स्वामी अम्बर ने तो यहाँ तक कहा था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। ~~किन्तु~~ मिस्त्रदेश रिपोर्ट विरुद्ध तथा रद्दी के कागज के भाव था। लेकिन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था।

सर्वदलीप सम्मेलन :- साइमन कमीशन में भारतीयों को साम्मिलित नहीं करने का कारण आपस में मतभेद था। ऐसा साइमन कमीशन के सदस्य लॉर्ड वेकिनहेड ने कहा था। उसने भारतीयों को यह चुनौती दी कि भारतीय एक विधान का प्रारूप तैयार करके ब्रिटीश संसद के सामने प्रस्तुत करें जिसको सर्वसम्भाले से तैयार किया हो। भारतीयों ने उसके इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने 1928 के फरवरी-मार्च के माह में सर्वदलीप सम्मेलन का आयोजन किया। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। सर तेज बहादुर सप्र सर अली इमाम और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इसके सदस्य नियुक्त किए गए।

- समिति ने तीन महिने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय इतिहास में इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
1. भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाना चाहिए। उसका स्थान ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आने वाले अन्य उपनिवेशों के समान होना चाहिए।
 2. केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। भारत के गवर्नर-जनरल की लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श पर सांविधानिक प्रश्नों के रूप में कार्य करना चाहिए।
 3. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा दो सदन वाली हो (Bicameral) हो और मंत्रिमंडल उसके प्रति उत्तरदायी हो। निम्न सदन का चुनाव जनप्रतिनिधि द्वारा पर प्रत्यक्ष पद्धति से हो और उच्च सदन का परोक्ष पद्धति से।
 4. प्रान्तों में भी केन्द्र की मॉडल उत्तरदायी शासन की स्थापना हो।
 5. केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तों का विभाजन हो जिसमें अवशिष्ट शक्तों (Residuary Power) केन्द्र के पास हो।
 6. साम्प्रदायिक विभाजन को समाप्त कर उसके स्थान पर संयुक्त विधान व्यवस्था का समान किया गया।
 7. उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रान्तों के समान वैधानिक स्तर प्राप्त होना चाहिए।
 8. सिंध को बर्द से अलग कर उसको अलग प्रान्त बनाया जाए।
 9. रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और उन्हें संविधान में स्थान देने की सिफारिश की गई।
 10. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देशी राज्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दी गयी कि भारत संघ में उन्हें नुर्भी सम्मिलित किया जाए, जब उनके राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए।

नेहरू रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। जिन्ता ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में चौदह सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देशी राज्यों ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। फिर भी भारतीय संविधानिक विकास के दृष्टि कोण से नेहरू रिपोर्ट एक मूल्यवान प्रलेख था। स्वतंत्र भारत का ^{वैधानिक} संविधान भी मूलतः नेहरू रिपोर्ट से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। सर असफ़ाख़ अहमद ख़ान ने कहा था, नेहरू रिपोर्ट अत्यन्त सचतात्मक प्रयास था।